दिनांक 24.02.2016 को माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न गोरखा कल्याण बोर्ड की चौदहवीं बैठक की कार्यवाही

बैठक में भाग लेने वाले सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की सूची अनुबन्ध''क व ख'' पर संलग्न है।

सर्व प्रथम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्याय एवं अधि0) विभाग ने माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार, सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत् किया। तदोपरान्त माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने माननीय मुख्य मन्त्री तथा बोर्ड के सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में पधारने पर धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होने अपने भाषण में सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गो जिनमें गोरखा समुदाय भी सम्मलित है, के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं तथा सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी तथा बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इन योजनाओं तथा सुविधाओं की जानकारी अपने समुदाय तक पहुंचाए तथा चाहा कि वह बैठक में गोरखा समुदाय के विकास एवं उत्थान के लिये वे अपने बहुमुल्य सुझाव दे ताकि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के कुशल नेतृत्व व मार्ग दर्शन में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

इस के उपरान्त माननीय मुख्य मंत्री ने अपने अध्यक्ष भाषण में सर्वप्रथम गोरखा समुदाय के उन शूरवीरों को नमन किया जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर बलिदान का अनूठा उदाहरण स्थापित किया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी चाहा कि सभी गैर सरकारी सदस्य गोरखा समुदाय की समस्याओं तथा उनके विकास के लिए अपने सार्थक सुझाव रखें तथा सरकार द्वारा गोरखा समुदाय को दी जा रही सुविधाओं व उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं से अपने समुदाय को भी अवगत करवाएं ताकि इन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके। उन्होनें आशा प्रकट की कल्याण बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने समुदाय के उत्थान के लिए बैठक में चर्चा हेतु उठाए गए मामले उनके चहुॅमुखी विकास के लिए सार्थक सिद्ध होगें।

इसके उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई तथा बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची पर चर्चा की गई :–

दिनांक 07–01–2015 को आयोजित 13वीं बैठक की अनुवर्ती मदें

भाषा एंव संस्कृति विभाग से सम्बन्धित मदें

(2) गोरखा समुदाय की अपनी संस्कृति व भाषा है जो सभी संस्कृतियों से अलग है । इस संस्कृति को बचाये रखने व आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने के लिये दाड़ी गॉव जो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के मध्य स्थित है तथा भूमि भी उपलब्ध है मैं संग्रहालय व गोरखा समुदायिक भवन बनाया जाये ।

(अरूण बिष्ट)

गत बैठक में सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया था कि गोरखा संग्राहलय बनाने के लिए बजट में प्रावधान नही है। **मद पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा भाषा एंव संस्कृति विभाग को उक्त संग्रहालय हेतु उचित बजट आवंटन करने के निर्देश दिए थे ।**

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि गोरखा संग्राहलय के निर्माण कार्य हेतु भूमि का चयन कर दिया गया है तथा इस चयन प्रक्रिया में सम्बन्धित गैर सरकारी सदस्य को भी शामिल किया गया है। जैसे ही भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होगी निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। चर्चा में भाग लेते हुए गैर सरकारी सदस्य द्वारा चाहा कि इस संग्राहलय के निर्माण हेतु श्रीध्र बजट उपलब्ध करवाया जाए। **चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को प्रस्तावित संग्राहलय के निर्माण हेतु बजट का प्रावधान कर निर्माण कार्य तुरन्त आरम्भ करने के निर्देश दिए।**

(भाषा एंव संस्कृति विभाग)

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मदें

(13) धर्मशाला कैन्ट रोड सड़क से गाँव – चाँदमरी तक सड़क बनवाने का प्रावधान किया जाये ।

(श्री शिव कुमार थापा)

गत बैठक में निर्णय लिया गया था कि इस मामले को जी0ए0डी0 की आगामी बैठक में प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए तथा इसे सैना के उच्च अधिकारियों के साथ प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाए क्योंकि इस सड़क का निर्माण किया जाना आवश्यक है ।

बैठक में सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता) हि0प्र0 ने सूचित किया कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार यह सड़क सैन्य भूमि से होकर गुजरनी है तथा सैन्य प्रशासन द्वारा की गई तारबन्दी के कारण इस सड़क का कार्य निर्माण नहीं हो सका और सड़क का निर्माण प्रशासन द्वारा तथा सैन्य प्रशासन से अनुमति लेने पर ही सम्भव है। चर्चा में भाग लेते हुए उपायुक्त

कांगड़ा द्वारा सूचित किया कि स्टेशन कमाण्डर के साथ उन की एक दौर की बातचीत हो चुकी है तथा बातचीत की प्रक्रिया जारी है। मार्च के पहले सप्ताह में इस समस्या के समाधान हेतु एक अन्य बैठक आयोजित की जा रही है। **चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्या के शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए जिस के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

(लोक निर्माण विभाग)

राजस्व विभाग से सम्बन्धित मदें

(18) गोरखा उप जाति का नाम पटवारी के कागजात में दर्ज नही है, अब गोरखा समुदाय के बच्चों को फौज में भरती के लिए उप जाति का प्रमाण पत्र अनिवार्य है, सम्बन्धित पटवारी केवल गोरखा राजपूत का ही प्रमाण पत्र देता है लेकिन उप जाति का नाम दर्ज ना होने पर उप जाति प्रमाण पत्र नही देता अतः अनुरोध है कि गोरखा उप जाति का नाम पटवारी के कागजात में दर्ज होना चाहिए।

(कै0 सागर गुरूंग ,कै0 पुर्ण सिंहं थापा , कै0श्याम बहादुर गुरूंग ,सु0 इश्वर राना, सुरज थापा)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने आश्वासन दिया कि राजस्व विभाग स्थानीय पुछताछ के आधार पर उप–जाति के प्रमाण पत्र जारी करने बारे पुनः आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेगा । **अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित विभाग को मामले में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए ।**

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विभाग द्वारा सूचित किया कि समस्त उपायुक्तों को पूर्व में यह निर्देश जारी कर दिए है कि वे भूमि रिकार्ड नियमावली के अध्याय 28 के पैरा 28.5 (11) के प्रावधान अनुसार गोरखा समुदाय के लिए स्थानीय पूछताछ के आधार पर उप जाति प्रमाण पत्र जारी करें तथा इस प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाए। बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों ने चाहा कि इन दिशा–निर्देशों की प्रति उन्हें भी उपलब्ध करवाई जाए। **अध्यक्ष महोदय ने सम्बन्धित विभाग को प्रति बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। बैठक में चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई।**

(राजस्व विभाग)

(21) गोरखा भवन ककीरा चम्बा हेतु माननीय मुख्य मन्त्री राजा वीरभद्र सिहं जी ने 2 विस्वा जमीन प्रदान की थी और यह गोरखा कल्याण भवन भी बन गया है लेकिन आसपास चलने फिरने व सौन्दयकरण के लिए जगह नही है। इसके लिए गोरखा भवन के पास उपलब्ध जमीन 7 विस्वा के कागजात डी0सी0 महोदय चम्बा को भेजा थे लेकिन

अभी तक यह जमीन गोरखा भवन को नही मिली है माननीय मुख्य मन्त्री से अनुरोध है कि यह 7 विस्वा जमीन गोरखा भवन ककीरा को प्रदान किया जाये।

(कै0 सागर गुरूंग ,कै0 पुर्ण सिंहं थापा , कै0श्याम बहादुर गुरूंग ,सु0 ईश्वर राना, सूरज थापा)

गत बैठक उपायुक्त चम्बा ने सूचित किया कि जिस भूमि पर यह भवन बनना प्रस्तावित है वह वन विभाग की भूमि है तथा forest clearance हेतु मामला वन विभाग से उठाया जा रहा है। **चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपायुक्त चम्बा को मामले में एक महीने के भीतर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए ।**

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त चम्बा द्वारा सूचित किया कि गोरखा भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि के आवंटन के लिए मामला तैयार कर एफ0सी0ए0 केस वनमण्डलाधिकारी, डल्हौजी को दिया गया है। बैठक में प्रधान सचिव (वन) ने सूचित किया कि मामले का निपटारा शीघ्र ही कर दिया जाएगा। **चर्चा उपारान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित विभागों को मामले में शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए।**

(वन विभाग/ उपायुक्त चम्बा)

शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें

(27) नेपाली भाषा को *8th Schedule* में मान्यता प्राप्त है । अभी तक हिमाचल में सभी स्कुलों में तमिल, उर्दु, तथा पजांबी का *syllabus* लागू है लेकिन नेपाली भाषा का *syllabus* नहीं है हिमाचल में लगभग 25 हजार से अधिक गोरखा समुदाय के लोग रहते है । अतः हमारे बच्चों की भलाई के लिए स्कूलो मे नेपाली भाषा का *syllabus* लागू हो ताकि नेपाली भाषा का अध्यापक नियुक्त किया जा सकें ।

(कै0 सागर गुरूंग ,कै0 पुर्ण सिंहं थापा , कै0श्याम बहादुर गुरूंग ,सु0 ईश्वर राना, सुरज थापा)

(28) नेपाली/ गोरखाली भाषा को सविधान के आठवीं अनुसची *(8th Schedule)* में शामिल किया गया है तथा प्रदेश में नेपाली भाषा बोलने बाले बहुत से व्यक्ति है । हिमाचल प्रदेश में भी गोरखाली/ नेपाली भाषा को मिडल कक्षा स्तर तक ऐच्छक विषय के रूप में शुरू किया जाए ।

(श्री शिव शकर शर्मा)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश में पंजाबी, ऊर्दू विषयों को कुछ चिन्हित पाठशालाओं में वैकल्पिक भाषा के रूप में तथा भोटी भाषा को लाहौल व स्पिति , किन्नौर व पांगी के कुछ विद्यालयों में वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है । उन्होनें यह भी सूचित किया कि नेपाली/गोरखाली भाषा को कुछ विद्यालयों में ऐच्छिक रूप में पढ़ाये जाने बारे विभाग सर्वेक्षण कर सूचना एकत्र करेगा तथा उस के उपरान्त ही

मामले में निर्णय लेगा **। चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा शीघ्र सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर कुछ विद्यालयों में नेपाली भाषा को वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ानें की सम्भावना का पता लगा कर उचित निर्णय लेने के आदेश दिए ।**

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) द्वारा सूचित किया कि वर्तमान में नेपाली भाषा की अध्ययन किसी भी स्कूल में नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि स्कूलों में नेपाली भाषा को पढ़ाने बारे परीक्षण प्रक्रिया जारी है तथा परीक्षण उपरान्त इस पर निर्णय लिया जा सकता है। चर्चा में भाग लेते हुए गैर सरकारी सदस्य ने चाहा कि पूर्व में सरकारी स्कूलों में नेपाली भाषा को पढ़ाया जाता था तथा जहां नेपाली समुदाय के लोग अधिक संख्या में रहते है वहां 8 वीं कक्षा तक वैकल्पिक विषय के रूप में नेपाली भाषा को पढ़ाया जा सकता है। चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे शिक्षा विभाग को अपनी राय दे कि किन–किन स्कूलों में नेपाली भाषा का अध्ययन वैकल्पिक विषय के तौर पर किया जा सकता है ताकि शिक्षा विभाग इस पर शीघ्र उचित निर्णय ले। **चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई।**

(शिक्षा विभाग)

हिमाचल प्रदेश गोरखा कल्याण बोर्ड की 14वीं बैठक हेतु गैर सरकारी सदस्यो से प्राप्त नई मदें

सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित मदे

(1) राष्ट्रगान धुन के रचयिता कैप्टन राम सिंह ने राष्ट्रीयगान की धुन तथा अनेको राष्ट्र प्रेम के गीत बना कर पूरे राष्ट्र को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया था ऐसे राष्ट्र योद्धा को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें ।
(संगीता खनका/ अरूण बिष्ट)
(2) राष्ट्रीयगान की धुन के रचयिता स्वर्गीय कैप्टन राम सिंह ठाकुर जिन्होंने राष्ट्रीय गान "शुभ सुख चैन की वर्षा बरसे भारत भाग्य विधाता" धुन रचा था व देश को आजादी दिलाने में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था । अतः गोरखा समुदाय द्वारा अनुरोध है कि स्व0 केप्टन राम सिंह ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।

(सुनील विकम खनका)

मत पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि भारत रत्न के लिए आवेदन प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा सीधे तौर पर मंगवाए जाते है तथा सम्बन्धित कार्यालय की

संस्तुति उपरान्त ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उन्होनें यह भी सूचित किया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा हिमाचल गौरव पुरस्कार, प्रेरणा स्रोत व सिविल सर्विस सम्मान प्रदान करने हेतु नामांकन/आवेदन मंगवाता है। इस के अतिरिक्त विभाग द्वारा पदम श्री पुरस्कार, जीवन रक्षा पुरस्कार व अशोक चक्र पुरस्कार के लिए नामांकन सम्बन्धित उपायुक्तों से मंगवा कर भारत सरकार को भेजे जाते है।

चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे भारत रत्न प्रदान करने हेतु प्रस्ताव सभी तथ्यों सहित सीधे भारत सरकार को भेजे तथा प्रति राज्य सरकार को भी करें ताकि राज्य सरकार इस सन्दर्भ में अनुवर्ती कार्यवाही कर सके। **चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई।**

(सामान्य प्रशासन विभाग)

(3) शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा एवं मेजर दुर्गा मल्ल जिन्होंने देश की आजादी के लिये अपने आप को कुर्बान कर दिया व उन्हें अंग्रजों ने लाल किला, दिल्ली में फांसी पर लटका दिया था। शहीद मेजर दुर्गा मल व शहीद केप्टन दल बहादुर थापा जी की प्रतिमा को लोक सभा के प्रांगण में स्थापित किया किया जाए ।

(सुनील विक्रम खनका)

मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि मामला लोक सभा से सम्बन्धित है तथा विभाग इस सन्दर्भ में भारत सरकार से मामला उठा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को मामला शीध्र भारत सरकार से उठाने के निर्देश दिए। **चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई।**

(सामान्य प्रशासन विभाग)

(4) स्वतंत्रता सेनानी शहीद दल बहादुर थापा के नाम दाढ़ी बाई पास दाड़नु सड़क का नामकरण किया जाए ।

(श्रीमति परनीता थापा)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूचित किया कि सड़क का नामकरण लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थानीय प्रशासन से सुझाव पर किया जाता है। चर्चा में भाग लेते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया कि इस नामकरण हेतु दिसम्बर मे नीति तैयार कर ली गई है तथा शीघ्र ही नामकरण हेतु प्रस्ताव सरकार को भेज दिया जाएगा। विभागीय उत्तर के दृष्टिगत **चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई।**

(सामान्य प्रशासन विभाग/लोक निर्माण विभाग)

राज्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोगता मामले

(5) गोरखा समुदाय के बहुत से लोग हिमाचल से नेपाल अपनी रोजी रोटी के लिये जाते हैं कुछ वर्षो बाद जब वे अपने देश व प्रदेश हि0 प्र0 में आते हैं तो उनका राशन कार्ड बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता जबकि नेपाल में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। उनका शपथ पत्र लेकर राशन कार्ड जारी करने की कृपा करें ।

(अनीशा गुरूग व अरूण बिष्ट)

बैठक में प्रधान सचिव नागरिक आपूर्ति एंव उपभोगता मामले ने सूचित किया कि भारत सरकार के दिशा–निर्देशों अनुसार राशन कार्ड मात्र भारत के नागरिकों को ही जारी किया जा सकता है तथा 'नेपाली' नागरिक प्रदेश में राशन कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र नही है । चर्चा में भाग लेते हुए श्री अरूण बिष्ट, गैर सरकारी सदस्य ने मामला उठाया कि गोरखा समुदाय के बहुत से भारतीय नागरिक जिन की जमीने व मकान यहीं पर है नेपाल रोजगार के लिए जाते है तथा जब वे काफी सालों बाद वापिस आते है तो प्रदेश में राशन कार्ड जारी करने से पूर्व उन से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। नेपाल में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण भारतीय नागरिक होने के बावजूद उन्हें राशन कार्ड से वंचित रहना पड़ता है तथा उन्होंनें चाहा कि ऐसे नागरिकों को शपथ पत्र के आधार पर ही राशन कार्ड जारी किए जाए।

चर्चा उपरान्त प्रधान सचिव नागरिक आपूर्ति एंव उपभोगता मामले ने आश्वासन दिया कि जिला खाद्य एंव उपभोगता अधिकारी, कांगड़ा को निर्देश दिए जाएगे कि यदि कोई ऐसा मामला है जहां भारतीय नागरिक होने के बावजूद राशन कार्ड नही दिया जा रहा है तो उसे नियमानुसार राशन कार्ड जारी करने बारे तुरन्त कार्यवाही की जाए। विभागीय उत्तर के **चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई।**

(राज्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोगता)

युवा सेवा एंव खेल विभाग से सम्बन्धित मदे

(6) फुटबाल अकादमी को धर्मशाला में खोलने की घोषणा व बजट में प्रावधान करने पर समस्त गोरखा समुदाय आपका कोटी –2 धन्यवाद करता है परन्तु प्रशासन द्वारा आज दिन तक जगह चयन नहीं की है जिस बजह से फुटबाल अकादमी खोलने में देरी हो रही है । शीघ्र प्रशासन को जगह चयन करने के आदेश जारी करने की कृपा करें और यह फुटबाल अकेदमी शहीद दुर्गामल दल बहादुर के नाम से खोलने की कृपा करें ।

(संगीता कैलाश व अरूण विष्ट)

मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि फुटबाल अकादमी का शिलान्यास दिसम्बर मास में जोरावर सिंह मैदान में कर दिया गया है तथा इस अकादमी के लिए 25.00 लाख का बजट प्रावधान भी किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए श्री अरूण बिष्ट ने मामला उठाया कि इस फुटबाल अकादमी का नाम शहीद दुर्गामल फुटबाल अकादमी रखा जाए। मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त सचिव युवा सेवाएं एंव खेल विभाग ने सूचित किया कि मामला पुरे तथ्यों के साथ नामकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

(युवा सेवाएं एंव खेल विभाग)

(7) स्वतंत्रता सैनानी,संगीतकार स्व0 कैप्टन राम सिंह ठाकुर गाव धनयारा निवासी की प्रतिमा को धन्यारा मेला मैदान में स्थापित किया जाए व मैदान का नाम स्व0 कैप्टन राम सिंह ठाकुर के नाम पर रखा जाए ।

(श्रीमति परनीता थापा)

मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग ने सूचित किया मैदान का नाम स्व0 कैप्टन राम सिंह ठाकुर के नाम रखने बारे रिपोर्ट उपायुक्त कांगडा से ली जाएगी। रिपोर्ट प्राप्त होने उपरान्त नामकरण हेतु मामला सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

(युवा सेवाएं एंव खेल विभाग)

गृह विभाग से सम्बन्धित मदें

(8) हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस में गोरखा समुदाय की महिला व पुरूष भर्ती में दो इंच लम्बाई में छूट दी है परन्तु उसके बावजूद भी गोरखा समुदाय पुलिस में भर्ती नहीं हो पा रहे है अतः समुदाय की Average Height को देखते हुए भर्ती में Height निर्धारित करें व न्यून्तम कोटा गोरखा समुदाय के लिये निर्धारित करने की कृपा करें ।

(नोविता व अरूण बिष्ट)

मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग ने सूचित किया आरक्षी पद की सीधी भर्ती में शारीरिक दक्षता में गोरखा समुदाय को पहले ही छूट प्रदान की जा चुकी है। मद पर चर्चा में भाग लेते हुए गैर सरकारी सदस्यों ने सूचित किया कि गोरखा समुदाय की ऊंचाई अन्य की अपेक्षा कम होती है जिस कारण पैरा मिल्ट्री फोर्स में गोरखा समुदाय को ऊंचाई में छूट प्रदान करते हुए ऊंचाई 5 फुट 2 ईच निर्धारित की गई है। **चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि यदि गोरखा रैजिमेट व पैरा मिल्ट्री फोर्स में गोरखा समुदाय हेतु ऊंचाई 5 फुट 2 ईच**

निर्धारित की गई है तो इस बारे पता करके पुलिस में भी गोरखा समुदाय हेतु यह प्रावधान किया जाए।

(गृह विभाग)

उपायुक्त कांगडा से सम्बन्धित मदें

(9) एक व्यक्ति जिसका नाम विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह गांव व डाकखाना –दाड़ी जिला– कांगड़ा (हि0 प्र0) शिक्षा विभाग में कार्यरत है ने सन 2003–04 में कैप्टन एस डी एस प्रधान से जमीन बेचने से पहले दाड़ी पंचायत द्वारा कैप्टन एस डी एस प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर व उनकी उपस्थिति पर MLA Fund से आठ फुट चौड़ा रास्ता पंचायत द्वारा बनाया गया था जिसे विजेन्द्र सिंह ने बिना पंचायत से पूछे लगभग 50 मीटर रास्ता तोड़ कर बाड़ लगा दिया है जिससे आधा गांव का आवागमन वंचित हो गया है । पंचायत द्वारा उस व्यक्ति पर आज तक किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है । आपसे अनुरोध है कि उस रास्ते को खुलवाया जाए ताकि आम जनता परेशानी से मुक्ति पा सके ।

(सुनील विक्रम खनका)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा ने सूचित किया कि उपमण्डलाधिकारी, धर्मशाला को मामले में कार्यवाही के आदेश दिए गये है। चर्चा में भाग लेते हुए सदस्य ने चाहा कि इस रास्ते के बंद होने से गांव का आवागमन प्रभावित हो रहा है अतः इस रास्ते को शीघ्र खोला जाए। **चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा को गैर सरकारी सदस्य को साथ लेकर मौका कर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।**

(उपायुक्त कांगड़ा)

राजस्व विभाग से सम्बन्धित मदें

(10) 7 जनवरी 2015 में गोरखा कल्याण बोर्ड की तेहरवीं बैठक में मद संख्या 22 के अन्तर्गत विभागीय उत्तर में बताया गया था कि राजस्व विभाग को गोरखा समुदाय को ओ0 बी0 सी0 प्रमाण पत्र देने बारे आवश्यक निर्देश दिया गया है लेकिन बकलोह (जिला चम्बा) में तहसीलदार ने इस बार जरूरी नोटीफिकेशन ना मिलने के कारण ओ0 बी0 सी0 प्रमाण पत्र नहीं बनाया है । इस बाबत जरूरी नोटीफिकेशन तहसीलदार , कानुनगो व पटवारी तक पुनः जारी की जाए।

(कै0 पूर्ण सिंह थापा, कै0 सागर कुमार गुरूंग सु0 ईश्वर सिंह राणा, कैप्टन श्याम गुरंग,सूरज थापा)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) द्वारा सूचित किया कि उपायुक्त चम्बा सहित समस्त उपायुक्तों को ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्रों बारे जारी दिशा–निर्देशों को कड़ाई से लागू करने व अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को इन दिशा–निर्देशों की प्रति उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए है । **उपरोक्त के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई ।**

(राजस्व विभाग)

(11) गत बैठक में मद संख्या 18 के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने विभागीय उत्तर में आश्वासन दिया था कि उप जाति प्रमाण पत्र के लिये आवश्यक निर्देश जारी किया जाएगा लेकिन पटवारी ने बगैर विभागीय आज्ञा के यह प्रमाण पत्र देने में मजबूरी जाहिर की है ।

(कै0 पूर्ण सिंह थापा, कै0 सागर कुमार गुरूंग सु0 ईश्वर सिंह राणा, कैप्टन श्याम गुरंग,सूरज थापा)

मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त चम्बा ने सूचित किया कि बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) द्वारा दिए गये निर्देशों अनुसार प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएगें। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने सदस्यों को बताया कि वे समस्त उपायुक्तों को गोरखा समुदाय को उपजाति प्रमाण पत्र के आवश्यक निर्देशों को पुनः जारी करेगें। **चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई ।**

(राजस्व विभाग)

<u>वन विभाग से सम्बन्धित मदें</u>

(12) पूर्व सैनिकों को अपना कारोबार चलाने हेतु सरकार द्वारा 1 बिस्वा जमीन खोका के लिये दिये जाने का प्रावधान है लेकिन वन विभाग द्वारा NOC ना मिलने के कारण मामला लटका हुआ है, साथ ही मद संख्या 23 के अन्तर्गत 2 बिस्वा जमीन शहरी तथा 3 बिस्वा जमीन ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन को दिये जाने का प्रावधान है लेकिन वन विभाग द्वारा NOC प्रदान नहीं किया जाता है ।

(कै0 पूर्ण सिंह थापा, कै0 सागर कुमार गुरूंग सुबेदार ईश्वर सिंह राणा, कैप्टन श्याम गुरंग, सूरज थापा)

मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए वन विभाग की भूमि नहीं दी जा सकती है उन्होंनें यह भी सूचित किया कि सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा जमीन भूमिहीन को मकान बनाने हेतु दिए

जाने का प्रावधान है। चर्चा में भाग लेते हुए अतिरिक्त्त मुख्य सचिव (राजस्व) द्वारा समस्त उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र वहीं लिए जाए जहां इस की अति आवश्यकता हो तथा मकान बनाने हेतु भूमिहीनों को जहां तक सम्भव हो गैर वन भूमि ही दी जाए। **चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई।**

(वन/राजस्व विभाग)

भाषा एंव संस्कृति विभाग से सम्बन्धित मदें

(13) मास्टर मित्रसैन थापा संग्राहलय में कार्यालय स्टोर, बिजली तथा अन्य कार्य के लिए कम से कम 2.50 लाख रू0 का प्रावधान किया जाए ।

(श्री जगदीश सिंह प्रधान)

मद पर चर्चा के दौरान सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता) द्वारा सूचित किया कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सम्बन्धित संस्था द्वारा 2,27,750/—रू0 की मांग मास्टर मित्रसेन थापा संग्राहलय में शो—केस इत्यादि बनाने के लिए की गई थी जिसमें से 1,75,000/—रू0 की राशि संस्था को दी गई थी और संस्था द्वारा यह राशि व्यय की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2014—15 में 53,000/—रू0 की राशि संस्था को दी गई थी परन्तु सम्बन्धित संस्था यह कह कर की सम्बन्धित संग्रहालय में जगह कम पड़ रही है इसलिए संस्था के संस्थापक प्रधान श्री जगदीश चन्द थापा ने इस राशि को व्यय करने में असमर्थता जताई है। इस के उपरान्त यह राशि संग्राहलयाध्यक्ष कांगड़ा कला संग्राहालय, धर्मशाला द्वारा विभाग को वापिस कर दी गई है । विभागीय उत्तर से गैर सदस्य द्वारा द्वारा **सहमति प्रकट की गई जिस के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

(भाषा एंव संस्कृति विभाग)

(14) स्व0 मास्टर मित्रसैन थापा प्रतियोगिता अवार्ड/सम्मान देने का प्रावधान किया जाए । (गोरखा कल्याण बोर्ड की सातवी बैठक में निदेशक भाषा एंव संस्कृति विभाग ने सूचित किया कि अभी तक मित्र सैन संगीत सहायता सभा के अनुरोध पर मापदण्ड के बारे अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई है अतः इसी मद को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता अवार्ड देने की व्यवस्था की जाए)

(श्री जगदीश सिंह प्रधान)

मद पर चर्चा के दौरान सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता) द्वारा सूचित किया कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार स्व0 मास्टर मित्रसेन प्रतियोगिता आवार्ड प्रदान करने के लिए मित्र संगीत साहित्य सभा, धर्मशाला को प्रतियोगिता/पुरस्कार परियोजना के मापदंड तैयार करने के लिए लिखा गया था परन्तु आज तक विभाग में कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है ।

परियोजना प्राप्त होने पर ही सरकार से अनुमोदन लिया जा सकेगा । विभागीय उत्तर **के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

(भाषा एंव संस्कृति विभाग)

जनजातीय विकास विभाग से सम्बन्धित मदें

(15) गोरखा समुदाय को जन जातीय दर्जा घोषित करने के सन्दर्भ में पहले ही मुख्यमंत्री जी से अनुरोध गया था परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में प्रतिकिया संतोषजनक नहीं रही है । गोरखा कल्याण बोर्ड की तेहरवीं बैठक में भी इस सन्दर्भ में राजस्व विभाग के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारत मापदण्डों के अनुसार मामले में परीक्षण हेतु अनिवार्य कार्यवाही की जाए एंव इस की जानकारी दी जाए ।

(श्री जगदीश सिंह प्रधान)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (जनजातीय विभाग) ने सूचित किया कि किसी भी समुदाय विशेष को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न पात्रता निर्धारित की है :–

1. Indications of primitive traits;
2. Distinctive culture;
3. Geographical isolation;
4. Shyness of contract with the community at large; and
5. Backwardness.

उन्होनें यह भी सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जनजातीय अनुसंधान केन्द्र चलाया जा रहा है इस केन्द्र को गोरखा समुदाय को जनजातीय श्रेणी में शामिल करने वाले सम्भावनाओं का पता लगाने बारे कार्यवाही करने हेतु कहा जाएगा। इस केन्द्र की सिफारिश के आधार पर ही मामले में कार्यवाही की जा सकती है। विभागीय उत्तर **के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई। (जनजातीय विभाग)**

बैठक के अन्त में सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हिमाचल प्रदेश द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, माननीय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्री, मुख्य सचिव, हि0प्र0 सरकार, सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में भाग लेने पर धन्यवाद किया तथा समस्त सम्बन्धित विभागों से अनुरोध किया कि वे बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार मामले में शीघ्र कार्यवाही करें।

****

अनुबन्ध–क

दिनांक 24.02.2016 को माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश गोरखा कल्याण बोर्ड की 14वीं बैठक में भाग लेने वाले गैर सरकारी सदस्यों की सूची ।

क्रम संख्या	नाम व पद
1	श्री अरूण बिष्ट
2	श्री सुनील बिक्रम खानका
3	श्री दीपक बिष्ट
4	श्री सरवन थापा
5	श्रीमती संगीता कैलाश
6	श्रीमती कमला गुरंग
9	श्रीमती पंरनीता थापा
11	श्री अरविन्द कुमार थापा
12	श्री पी0एस0 बोराथोकी
13	श्री नारायण सिंह थापा
14	श्री लाल बहादुर गुरंग
15	श्री मोहन सिंह खनका
16	श्री अनिल कुमार गुरंग
17	श्री शंकर गुरंग
18	श्री कमल सिंह गुरंग
19	श्री सुरेश काकरी
20	श्री शिव शंकर शर्मा
21	श्री पदम गंग महंत
21	श्री बिशन सिंह गुरंग
22	कैप्टन पूर्ण सिंह थापा
23	श्री ईश्वर सिंह राणा
24	कैप्टन सागर कुमार गुरंग
25	श्री श्याम बहादुर गुरंग
26	श्री ईश्वर देव गुरंग
27	श्री शांतनू कुमार
28	श्री दीपक मल ठाकुर

29	श्री कमल कुमार शर्मा
30	श्री जय बहादुर
31	श्री ज्ञान बहादुर राणा
32	श्री खेम बहादुर थापा
33	श्री कृष्ण कुमार
34	श्री एस0बी0 गुरंग
35	श्री कमल गुरंग

अनुबन्ध–ख

दिनांक 24.02.2016 को माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश गोरखा कल्याण बोर्ड की 14वीं बैठक में भाग लेने वाले सरकारी सदस्यों की सूची ।

क्रम संख्या	नाम व पद
1.	श्री पी0 मित्रा, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार
2.	श्री वी,सी, फारका अतिरिक्त मुख्य सचिव (माननीय मुख्य मंत्री) हिमाचल प्रदेश सरकार
3.	श्री तरूण श्रीधर अति मुख्य सचिव (राजस्व एंव वन) हिमाचल प्रदेश सरकार
4.	श्री पी0 सी0 धीमान, अति मुख्य सचिव (शिक्षा व सिंचाई एंव जनस्वास्थ्य)हिमाचल प्रदेश सरकार
5.	श्री कान्त बाल्दी प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार
6.	श्री आर0, डी0 धीमान, प्रधान सचिव (उद्योग ,खाद्य एवं आपूर्ति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार
7.	श्री एस0पी0 वासुदेवा, प्रमुख मुख्य अरण्यपाल (वन)
8.	श्री मति अनुराधा ठाकुर, सचिव, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता
9.	श्री ओकार शर्मा सचिव ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज
10.	श्री मदन चौहान उपायुक्त हमीरपुर
11.	श्री संदीप भटनागर, निदेशक, अनु0जाति, अन्य पिछडा वर्ग एंव अल्प संख्यक मामले
12.	श्री सुदेश कुमार मोक्टा, उपायुक्त चम्बा
13.	श्री बी0डी0 बदालिया उपायुक्त सिरमौर
14.	श्री दीनकर बुराथोकी, निदेशक उच्च शिक्षा
15.	डा0 डी0 एस0 गुरंग, निदेशक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण
16.	डा0 शेखर मैसी, निदेशक पशुपालन
17.	डा0 सुनील कुमार चौधरी, विशेष सचिव भाषा एंव संस्कृति
18.	ई0 राकेश गुप्ता, प्रमुख अभियन्ता, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग
19.	श्री के0आर0 सहजल, उप सचिव लोक निर्माण विभाग
20.	श्री अश्वनी शर्मा, अतिरिक्त सचिव सामान्य प्रशासन
21.	श्री आशीष कोहली, अति0 निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
22.	श्री रूगविद ठाकुर, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी
23.	श्री बलबीर ठाकुर, अति0 उपायुक्त कांगड़ा
24.	श्री डी0के0रतन, अति0 उपायुक्त शिमला
25.	श्री राम कुमार गौतम कार्यकारी निदेशक , हि0 प्र0 पथ परिवहन निगम
26.	डा0 दिनेश सूद, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण

27.	श्री राजीव शर्मा, संयुक्त निदेशक डी0आई0टी0
28.	श्री चंद्र प्रकाश जिश्टा, संयुक्त निदेशक, नागरिक आपुर्ति एंव उपभोगता मामले
29.	श्री लोक चंद चौहान, संयुक्त निदेशक, अनु0जाति, अन्य पिछडा वर्ग एंव अल्प संख्यक मामले
30.	श्री संजय शर्मा अति0 कमिश्नर, परिवहन
31.	श्री आर0एस0 गुलेरिया, उप निदेशक, महिला एंव बाल विकास
32.	श्री हिमाशु मिश्रा आई0जी0पी0 हि0 प्र0 पुलिस
33.	श्री महेन्द्र सिंह नेगी, संग्रहालयाध्यक्ष, भाषा एंव संस्कृति
34.	श्रीमति पुनम शर्मा, अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन
35.	श्री सतीश ठाकुर, प्रबन्धक, हि0 पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम